न्यायालय अपील प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः GCMS No. 2024/615

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
1– मुन्नी पत्नी हाजी शकुर मोहम्मद उम्र–68 वर्ष, निवासी–विजय चौक, जीवनदास जी का कुआं, जोधपुर हाल निवासी–पुरानी पुलिस लाईन, राईका बाग, जोधपुर		1–शेर मोहम्मद पुत्र हाजी शकुर मोहम्मद 2–शहानुर बानो पत्नी शेर मोहम्मद निवासी– विजय चौक, जीवनदास जी का कुआं, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16(1), माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 24.07.2024 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रकरण संख्या 24/2023 मुन्नी बनाम शेर मोहम्मद वगैरह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1–अपीलार्थी उपस्थित।

2–प्रत्यर्थी संख्या–01 उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 व 23, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बावत अपीलार्थी को भरण पोषण राशि दिलाने एवं रहवासीय मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2024 को पारित किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 को अपीलार्थी को प्रतिमाह 4000/– रूपये का भुगतान करने एवं अपीलार्थी के साथ सदव्यवहार बनाए रखने हेतु पाबंद किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (GCMS No. 2024/615) कर प्रत्यर्थीपक्ष/अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण ने दिनांक [illegible]10.2024 को कार्यालय उपस्थित होकर नोटिस प्राप्त किये तथा अधीनस्थ अधिकरण से

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थी तथा अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 01 दिनांक 27.11.2024 को उपस्थित होने पर दोनों पक्ष सुना गया।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 क्रमशः पुत्र व पुत्रवधु है तथा अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)) के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत प्रतिमाह 30000/- रूपये का भरण पोषण व बीमारी का ईलाज के रूप में दिलाने एवं अपीलार्थी के रहवासीय मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल करने का आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थी/प्रार्थिया द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी के पति का देहान्त हो गया तथा अपीलार्थी/प्रार्थिया का एकमात्र पुत्र शेर मोहम्मद है, इसके अलावा कोई पुत्र नही है। अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के स्वयं का एक रहवासीय मकान पीपलेश्वर महोदव मन्दिर के सामने, विजय चौक, नागौरी गेट रोड़, जोधपुर में दो मंजिला मकान आया हुआ है व उक्त रहवासीय मकान को अप्रार्थीगण द्वारा किराये पर दे रखा है, उक्त रहवासीय मकान में अप्रार्थीगण निवास नही करके अपीलार्थी/प्रार्थिया के पति के मकान को हड़पने की नियत से प्रार्थिया के साथ आकर रहे। अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थिया की सेवा चाकरी व इलाज आदि नही करवाया जाता व प्रार्थिया के साथ गाली गालौच, मारपीट की जा रही है व अपीलार्थी/प्रार्थिया के एकमात्र रहवासीय मकान जो नागौरी गेट के अन्दर तेलियों का बास, मदरसा के पास आया हुआ है जो उसके पति मोहम्मद शकूर के नाम से खरीदसुदाव पंजीबद्धसुदा है से प्रार्थिया के पुत्र व पुत्रवधु ने धक्के मारकर निकालने का प्रयास किया व प्रार्थिया को वहां रहने नही दिया जा रहा। अपीलार्थी ने आगे बतलाया कि वर्तमान में प्रार्थिया अपनी पुत्री के सुसराल में निवास कर रही है तथा अप्रार्थीगण ने अपीलार्थी/प्रार्थिया के रहवासीय मकान का हॉल को मासिक 4000/- रूपये किराये पर दे रखा है व प्रार्थिया के पति की एक दुकान जो विजय चौक, जीवनदास का कुआं, नागौरी गेट के अन्दर आई हुई है को 5000/- रूपये मासिक किराये पर दे रखा है व उक्त सम्पूर्ण किराया अप्रार्थीगण ले रहे है। अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी/प्रार्थिया की सम्पति को हड़प करने की नियत से धोखें में रखते हुए उक्त मकान को बेचान करना चाहते हे। अंत में अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ अधिकरण का पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 को खारिज कर अपीलार्थी को प्रतिमाह 30000/- रूपये भरण पोषण राशि दिलाने, प्रार्थिया के रहवासीय मकान से अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को बेदखल कर प्रार्थिया को कब्जा दिलाने व प्रार्थिया के पति की दुकान जो सेलून व्यवसाय के लिए 5000/- मासिक किराये पर दे रखी है का किराया अप्रार्थी संख्या-01 से दिलाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

तत्पश्चात अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या-01 रिक्शा चलाकर अपना जीवन व्यापन करता है व अपीलार्थी/ प्रार्थिया अपनी पुत्री के बहकावे में आकर अपनी इच्छा से उनके सुसराल में निवास कर रही है तथा अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की मारपीट अथवा बुरा आचरण प्रार्थिया के साथ नही किया

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

जोधपुर (राज.)

जा रहा है। अप्रार्थी संख्या–01 ने अपीलार्थी/प्रार्थिया को अपने साथ घर ले जाने तथा उनकी सेवा चाकरी करने की इच्छा व्यक्त की तथा अपीलार्थी की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से प्रतिमाह 30,000/– भरण पोषण की राशि दिलाने, रहवासीय घर से बेदखल करने व दुकान का किराये दिलाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या–01 को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थिया के रहवासीय मकान का हॉल जो 4000/–मासिक किराये व प्रार्थिया के पति की दुकान जो सेलून व्यवसाय हेतु 5000/– मासिक किराये पर अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा किराये पर दे रखी है का सम्पूर्ण किराया अपीलार्थी/प्रार्थिया के बैंक खाते में प्रतिमाह भगुतान करे तथा अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को पाबंद किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थिया के साथ सद्व्यवहार बनाकर किसी प्रकार से मारपीट, लड़ाई–झगड़ा इत्यादि नही करेंगे व अपीलार्थी/प्रार्थिया के बीमार होने पर उनकी इलाज/दवाईयां को व्यवस्था कर उनकी सार संभाल करेंगे साथ ही अपीलार्थी द्वारा उनके रहवासीय मकान के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करेंगे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 01.01.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)